

भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी को अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जायेगा)

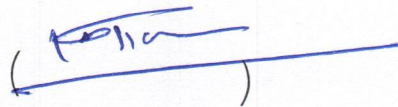
जनपद शामली में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा Additional forest land diversion required for Eastern Yamuna Canal falling in Shamli District for "Four laning of Panipat (Start from Junction with Existing Km of NH-44 at Panipat) to Shamli (End at its junction with existing 39+300 of SH-12) of NH-709AD in the State of Uttar Pradesh" Package-I (0-000 to 35-580) 0.111 हे० संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग बिना वृक्ष पातन की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव संख्या-एफपी/यूपी/रोड/147898/2021)

राज्य सरकार की सिफारिशें - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी-134/81-2-2022-800(125)/2022 दिनांक 30 मई, 2022 के द्वारा प्रस्तुत पर संस्तुति सहित अनुमोदनार्थ अग्रसारित।

उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूट टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।

हस्ताक्षर

30/05/2022



नाम और पदनाम सरकारी मोहर सहित

(आशीष तिवारी)

सचिव,

पर्यावरण, वन एवं जलवायु

परिवर्तन विभाग,

उत्तर प्रदेश शासन।